न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 264/2026

एफ० आई० आर० संख्या :- 430/2025, थाना निहालगंज, धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :- 305 (ए), 331(4), 112(2) बी०एन०एस०

अरमान उर्फ वीडियो पुत्र भरोसी, उम्र करीब 24 साल, निवासी गांव विपरपुर, थाना मनियां, जिला धौलपुर (राज०)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०

उपस्थिति :-

1- श्री ओमवीर सिंह गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।

2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांक : 11-03-2026

1) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में दिनांक 12/12/25 को परिवादिया श्रीमती प्रीती की ओर से एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना निहालगंज वह दिनांक 11/12/25 को रात के 7-8 बजे शादी समारोह में शामिल होने के लिये मकान से ताले आदि लगाकर गये थे और आज दिनांक 12/12/25 को सुबह करीब पांच-छः बजे वापिस आये तो देखा कि ताला टूटा पडा था और अंदर कमरे में बक्सा खुला मिला जिसमें से अज्ञात चोर सोने-चांदी के जेवरात व पन्द्रह हजार रूपये नगदी की चोरी करके ले गये । कानूनी कार्यवाही की जाकर चोरी गया सामान बरामद कराया जावे, इत्यादि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र निहालगंज, धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 430/2025 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व अनुसंधान से प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्व धारा 305 (ए), 331(4) व 112(2) बी०एन०एस० के आरोप बनना पाये गये हैं । प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 22/1/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है । अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त निम्न आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है:-

क्र०	मु० सं०	अपराध धारा	थाना	नतीजा
1	140/20	4/6 आर एन सी एक्ट	मनियां	चार्जशीट
2	280/25	305 (ए), 331(4) बी०एन०एस०	कोतवाली मुरैना	चार्जशीट
3	438/25	305 (ए), 331(4) बी०एन०एस०	निहालगंज	अनुसंधान

Cr. Misc. Case No. - 264/2026 अरमान उर्फ वीडियो बनाम सरकार

<u>जमानत प्रार्थना पत्र बावत आदेश दिनांक 11/3/2026</u>

3) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको अपराध में संलिप्त किया गया है । उसका अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा से दंडनीय नहीं है । उसके कहीं फरार होने अथवा भागने की संभावना नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान अथवा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उसको जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध रात्रि के समय परिवादिया के मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नगदी व सोने के जेवरात की चोरी किये जाने से संबंधित अपराध के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) चूंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 22/1/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, जिसके विरुद्ध बताये गये आरोप मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं । हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से रूपयों की बरामदगी होना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है । सहअभियुक्त गुलफान को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 26.2.2026 द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

7) परिणामस्वरुप प्रार्थी/अभियुक्त अरमान उर्फ वीडियो पुत्र भरोसी, उम्र करीब 24 साल, निवासी गांव विपरपुर, थाना मनियां, जिला धौलपुर (राज०) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 430/25 थाना निहालगंज, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर की संतुष्टि हेतु 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रुपये राशि का स्वयं का मुचलका अपनी नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करादे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CRIMINAL)NO० 4/2021 आदेश दिनांक 28/3/2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

Cr. Misc. Case No. - **264/2026 अरमान उर्फ वीडियो बनाम सरकार**

<u>जमानत प्रार्थना पत्र बावत आदेश दिनांक 11/3/2026</u>

8) यह आदेश आज दिनांक 11/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

MANISH SHARMA
PA cum EA "Authenticated Document"
Digitally signed by MANISH SHARMA
Date: 2026.03.11 16:36:40 +0530